कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक ५1५0 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 25-5- 2018.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
कनहर निर्माण खण्ड,
तृतीय, पिपरी सोनभद्र।

विषयः– सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणलियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675हे0 आरक्षित वनभूमि के मैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों क पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887हे0 अराक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक–143/14–2–2018–800(118)/2017, दिनांक–19.03.2018, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/03/31/2018/एफ0सी0/45 दिनांक–18.04.2018 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–2982/11–सी दिनांक–24.04.2018.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक–143/14–2–2018–800(118)/2017, दिनांक–19.03.2018 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/03/31/2018/एफ0सी0/45 दिनांक–18.04.2018 द्वारा निम्नलिखत सूचना की मांग की गयी हैः–

1- Color coding in the .kml files (provided online) as well as in CD of proposed land to be diverted are in a single colour due to which the distinction between Forest Land and Non-Forest land is difficult . It should be in the different colours coding.
2- The data provided in CD should be divisions wise.
3- The key coordinates of proposed land to be diverted have not to be given.
4- The proposed CA Land for the both divisions i.e. Forest Division Renukoot and Obra are in linear format. The .kml file of propsed CA land shows presence of agricultural land which may be reviewed .

–पेज 2 पर–

5- Cost Benefit analysis has not been provided as per new guideline of the Ministry .
6- CA scheme has not been submitted.
7- Alternatives of forest land have not been examined and details not provided .
8- FRA certificate has been obtained much earlier than date of submission of proposal by the Agency, which may be explained .

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ द्वारा मांगी गयी उपरोक्त वांछित सूचना निर्धारित प्रारुप में पांच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उक्त सूचना मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर के स्तर से उच्च स्तर पर प्रेषित किया जा सके।

भवदीय

(अमर बहादुर)
वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्याः–4140 अ / समदिनांक।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमर बहादुर)
वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/C

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी / यू.पी. / 02 / 31 / 2018 / एफ.सी. / 45 A.S.O

दिनॉक:

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन,
लखनऊ।

C.C.F
27-4-18

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/IRRIG/20269/2016

विषय : सोनभद्र में कनहर सिंचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.675 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 18282 वृक्षों के पातन तथा ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2928 वृक्षों का पातन अर्थात् 127.1637 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 21210 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः–विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक– 143 / 14–2–2018–800(118) / 2017, दिनांक– 19.03.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

1- Color coding in the .kml files (provided online) as well as in CD of proposed land to be diverted are in a single colour due to which the distinction between Forsest land and Non-forest land is difficult. It should be in the different colours coding.
2- The data provided in CD should be divisions wise.
3- The key coordinates of proposed land to be diverted have not be given.
4- The proposed CA land for the both divisions i.e. Forest Division Renukoot and Obra are in linear format. The .kml file of proposed CA land shows presence of agricultural land which may be reviewed.
5- Cost Benefit analysis has not been provided as per new guideline of the Ministry.
6- CA scheme has not been submitted.
7- Alternatives of forest land have not been examined and details not provided.
8- FRA certificate has been obtained much earlier than date of submission of proposal by the Agency, which may be explained.

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, ओबरा, उ0 प्र0।
3. अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड–3, पिपरी, सोनभद्र, उ0 प्र0।
4. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली ।

(के0 के0 तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक–2922/11–सी–FP/UP/IRRIG/20269/2016, लखनऊ, दिनांकःअप्रैल 24, 2018

प्रतिलिपि– 1. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/अभिलेख निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– 2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट एवं ओबरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना/अभिलेख निर्धारित प्रारूप में तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– 3 अधिशासी अभियन्ता, कनहर निर्माण खण्ड, तृतीय, पिपरी सोनभद्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।